उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

संख्या : 210 –कार्य/चौदह–पाकालि/2010–3–के/2000 दिनांकः मार्च, 05 ,2010

कार्यालय–ज्ञाप

उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0 कापोरेट भण्डार क्रय/कार्य समिति में प्रस्तुत संस्तुतियों के अध्ययन से संज्ञान में आया है कि निविदा सम्बन्धी मानक शर्तों में डिस्कॉम स्तर पर विचलन किया जा रहा है जो निविदा प्रकिया के विपरीत है। अतः निर्देशित किया जाता है कि प्रत्येक सामग्री के क्रय/कराये जाने वाले कार्यो हेतु निम्न शर्तों का पालन किया जाये :–

1. सामग्री क्रय एवं कार्य कराये जाने हेतु समाचार पत्रों में विज्ञापन देने से पूर्व सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है। रू0 1.00 करोड़ के क्रय एवं कार्य हेतु अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के माध्यम से निदेशक मण्डल द्वारा क्रय/कार्य का पूर्व अनुमोदन कराया जाना आवश्यक होगा।

2. रू0 1.00 करोड से अधिक के पूंजीगत कार्यों का अनुमोदन विद्युत टास्क फोर्स से भी कराया जाना आवश्यक होगा।

3. प्रत्येक वर्ष का राजस्व एवं पूंजीगत बजट प्रत्येक डिस्कॉम के निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित कराया जाना आवश्यक है। तथा प्रत्येक कार्य उक्त बजट प्राविधानों एवं इंगित वित्तीय श्रोत से किये जायें। डिस्कॉम के प्रबन्ध निदेशक का उत्तरदायित्व होगा कि क्रय अथवा कार्य बजट प्राविधान तथा वित्तीय श्रोत के अर्न्तगत ही कराये।

4. निविदा विज्ञप्ति में स्पष्ट रूप से विशिष्टी (Specification), एवं शर्तो का उल्लेख किया जायें। यदि विशिष्टी (Specification), अर्हता की शर्तो इत्यादि में कोई विचलन आपेक्षित किया जाता है तो उक्त विचलन को सक्षम स्तर से अनुमोदित कराने के पश्चात् ही निविदा विज्ञप्ति में उसका उल्लेख किया जाये।

5. निविदा विज्ञप्ति में सामग्री की माहवार आवश्यकता का उल्लेख अवश्य किया जाये तथा निविदादाता को भी अपना निविदा में माहवार आपूर्ति की सारिणी प्रेषित करना आवश्यक होगा।

6. आपात क्रय/कार्य कराने जाने हेतु ही अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाये जिसमें समाचार पत्रों में विज्ञप्ति होने की तिथि तथा निविदा का भाग–I खोलने की तिथि को छोड़ते हुये कम से कम 15 दिनों का समय दिया जाये। डिस्कॉम की बेवसाइट पर भी प्रत्येक निविदा विज्ञप्ति का विवरण (Specification), सहित प्रकाशित किया जाना आवश्यक है।

7. क्रय एवं कार्य निविदा का भाग–I खोलकर निविदा विशिष्टी से सम्बन्धित अर्हता की शर्तों (तकनीकी एवं वित्तीय), फर्म की पूर्व परफारमेन्स, क्रय एवं कार्य की गारण्टी, सामग्री का डिलीवरी शेड्यूल/कार्य अवधि को भलीभाँति जाँच करने के उपरान्त ही सक्षम अधिकारी द्वारा निविदा का भाग–II खोलने की अनुमति प्रदान की जाये। निविदा का भाग–I खोलने सम्बन्धी दायित्व पूर्णतयाः सक्षम अधिकारी एवं सम्बन्धित अधिकारी का होगा। किसी भी दशा में अर्हता की शर्तों सम्बन्धित Clause-1.2.1,1.2.3 & 1.2.4 में विचलन नही दिया जाये।

क्रमश........2

8. निविदा का भाग–II (मूल्य भाग) खुलने पर दरों के मामले में निगोसियेसन न्यूनतम निविदादाता से ही किया जायेगा। यदि किसी निविदा में सभी निविदादाताओं द्वारा किसी सामग्री अथवा कार्य की दरें अधिक दी जाती है तो सक्षम क्रय समिति विशेष परिस्थितियों में सभी निविदादाताओं से रॉक बाटम दरें प्राप्त करने हेतु कह सकती है।

9. **ट्रायल आर्डर देने के लिये निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जायें :–**

(a) क्रय की जाने वाली सामग्री अथवा किये जाने वाले कार्य से सम्बन्धित रेगूलर निविदादाता समुचित संख्या में उपलब्ध न हो तथा प्रतिस्पर्धा की कमी हो।

(b) किसी फर्म द्वारा सामग्री से सम्बन्धित तकनीकी आविष्कार किया गया हो जिसका उपयोग प्रथम बार निगम में किया जाना हो।

(c) केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा किसी विशेष विशिष्टी की ही सामग्री क्रय कराने सम्बन्धी आदेश दिये गये हों।

(d) ट्रायल फर्म से क्रय/कार्य कराने के लिये (कम से कम दो वर्षों की) अतिरिक्त परफारमेन्स गारण्टी लेना आवश्यक होगा। इस बिन्दु को निविदा नोटिस में भी डाला जायें

(e) ट्रायल फर्म से आपूर्तित परिवर्तकों की गारण्टी अवधि दो वर्ष अतिरिक्त होगी।

10. कारपोरेट भण्डार क्रय/कार्य समिति को प्रस्तुत संस्तुति में सामग्री क्रय/कार्य से सम्बन्धित Rate anslysis लगाना आवश्यक होगा, जिसका अनुमोदन डिस्कॉम में कार्यरत निदेशक (तकनीकी) द्वारा किया जायें।

11. कारपोरेट भण्डार एवं कार्य समिति को प्रस्तुत होने वाले मामलों की जाँच का दायित्व प्रत्येक डिस्कॉम के निदेशक (तकनीकी)/निदेशक (वित्त) का होगा जो इस संस्तुति पर जाँच स्वरूप अपने हस्ताक्षर अंकित करेगें।

12. सामग्री का क्रय एवं कराये जाने वाले कार्य के सम्बन्ध में जमानत राशि का उल्लेख निविदा नोटिस में स्पष्ट रूप से किया जाये। किसी भी दशा में जमानत राशि को मानक शर्तों अथवा सम्बन्धित पाकालि आदेशों से कम नही किया जायेगा। यदि किन्ही कारणों से जमानत राशि कम लेना अपरिहार्य हो तो उसका पूर्व अनुमोदन निदेशक मण्डल से प्राप्त कर निविदा नोटिस में उल्लेख किया जाये।

उक्त के अतिरिक्त अन्य प्राविधान एंव शर्तें आदेश संख्या–347–सीएओ(डी0) दिनांक 22.4.70, संख्या–1047–डब्लू/एसईबी VI–77 दिनांक 07.4.77, संख्या–999के(ए)/एसईबी–XIV/83 दिनांक 23.4.83, संख्या–295–कार्य–14/पाकालि/2003–3–के/2000 दिनांक 27.02.2003 एवं संख्या–649/पीएससीएच/2008 दिनांक 08.8.2008 तथा अन्य निर्गत आदेशों के अर्न्तगत यथावत् लागू रहेंगी।

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

संख्या : 210 –(1)–कार्य/चौदह–पाकालि/2010 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, (ऊर्जा) उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. समस्त प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल/पूर्वान्चल/पश्चिमांचल/दक्षिणान्चल, विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा/केस्को–कानपुर।

क्रमश........3

3. समस्त निदेशक, (का०प्र० एवं प्रशा०/वित्त/वितरण/वाणिज्य) उ०प्र०पा०का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. अधिशासी निदेशक (पारेषण), उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, के मुख्य कार्यकारी अधिकारी उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. अपर प्रबन्ध निदेशक के निजी सचिव, उ०प्र० पावर कार्पोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. अपर सचिव–I/II/III/अराजपत्रित, उ०प्र० पावर कार्पोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. समस्त मुख्य अभियन्ता, (स्तर I/II) उ०प्र० पावर कार्पोरेशन लि०/उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लि०/विद्युत वितरण निगम लि०।
9. समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक (लेखा एवं वित्त) उ०प्र० पावर कार्पोरेशन लि०।
10. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता उ०प्र० पावर कार्पोरेशन लि०/उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लि०/विद्युत वितरण निगम लि०।
11. कम्पनी सचिव, मध्यांचल/पूर्वान्चल/पश्चिमांचल/दक्षिणान्चल, विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा/केस्को–कानपुर।
12. कम्पनी सचिव, उ०प्र० पावर कार्पोरेशन लि०/उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लि० शक्ति भवन, लखनऊ।

आज्ञा से,

5/3/2010

(अशोक कुमार गुप्ता)
उपसचिव (कार्य)